

परियोजना का नाम: - जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारवण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक 18-04-2014 को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि0 के द्वारा विष्णुप्रयाग से मुजफ्फरनगर तक बनाये जाने वाली विद्युत पारवण लाइन/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री ...गिरीश चन्द्र (वन दसोगा).... राजस्व विभाग की ओर से श्री मनीष राजवा प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री ...(.शिवकुमार अवर अभियन्ता).... अन्य दावेदारों की ओर से श्री तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 36.52 (मी0) नाप भूमि से, 846.31 (मी0) सिविल भूमि से, 0.00 (मी0) वन पंचायत से, 0.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.168 हे0 नाप भूमि 3.893 हे0 सिविल भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.061 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 48 वृक्ष प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 0 बाँज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें (मी0) नाप भूमि से, (मी0) सिविल भूमि से, (मी0) वन पंचायत से, (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल हे0 नाप भूमि हे0 सिविल भूमि हे0 वन पंचायत भूमि हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल हे0 भूमि व हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग वृक्ष प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से बाँज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन कक्षों से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान व आच्छादन है एवं इन कक्षों में प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि प प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर प्रजाति के वन हैं जिनके वर्तमान वन आच्छादन 0.1 है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान है तथा य स्थल से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल है जिसका GPS मान है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों का GPS मान है।

चयनित समरेखन में कुल 48 चौकों को अन्य स्थानान्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/कन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का उल्लंघन होगा।

इस समीक्षण पर के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु

..... स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS नम्बर है।

अन्य आवश्यक विवरण

हस्ताक्षर 
मुख्य अभियंता एनजीएस/एस डिवीजन
प्रतिनिधि Jolly Road
Wazirpur nagar

हस्ताक्षर
(वन विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
सितीस राजवाड़ा
प्रांचाधिकारी
पदवी
तहसील
जिला नगीनी सामगाड़ा
२०१३

हस्ताक्षर
(अन्य दावेदार)
प्रतिनिधि

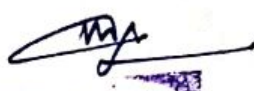
हस्ताक्षर

(जन प्रतिनिधि)

Sahelu
३.६.

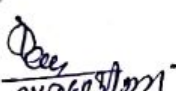

Sahelu
३.६.

राजस्व निरीक्षक
तहसील नगीनी
जनपद नगीनी गढ़वाल


उपजिलाधिकारी
श्रीनगर गढ़वाल


सब क्षेत्राधिकारी
पौड़ी रेंज, नागदेव


सब क्षेत्राधिकारी
पौड़ी रेंज, नागदेव


सब क्षेत्राधिकारी
पौड़ी रेंज, नागदेव


सब क्षेत्राधिकारी
पौड़ी रेंज, नागदेव

उपवन संरक्षक
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

जिलाधिकारी
गढ़वाल

संयुक्त निरीक्षण आरंभ

दिनांक 18-04-2014 को श्रीमान प्रभाषी व नाधिकारी
 ल वन प्रभाग की पुत्र संख्या 2828/12-7 दिनांक 10-04-2014
 श्रीमान वनभेगाधिकारी नागदिवरेज पौड़ी की पत्र संख्या 1311/12-1
 के 10-4-2014 के अनुपालन में जंगल पौड़ी के अन्तर्गत 400
 हेक्टेयर विष्णुप्रसाद-मुजफ्फरगढ़ परेष्ठन जंगल के क्षतिग्रस्त
 संख्या 266 के स्थान पर दो नये बाँवों के निर्माण हेतु
 संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण में 3.893 हे०
 की क्षति तथा 0.168 हे० नाप क्षति की आवश्यकता है, इस
 क्षति के निर्माण से यदि प्रजाति के कुल 48 वृक्ष विभिन्न
 रूपों के पुनर्वापित होंगे।

S. S. 18/04/14
 Shiv Kumar
 JE 400Kv @ CVML

1. श्रीमान
 (निरीक्षण) वन
 18/04/14
 जंगल पौड़ी
 नागदिवरेज

(श्रीमान) 18/04/14
 वन
 श्रीमान

प्रारूप-7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA).



- 1 A proposal has been received by this office from.....for diversion under FCA-1980) of.....ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of..... The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated.....
- 2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring..... ha.
- 3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.
- 4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-
- 5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-
- 6 The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction
- 7 It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1. Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.
(नाट - प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी ससुति/दिपणी आवश्यक रूप से अधिका की जाये)

(Signature)

Place:-.....

Name.....

Date..... Designation.....

Office Seal

x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

er letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government

for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is re

for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator

ts is required.

प